

निर्माता :  
नवकार उपखण्ड, अन्वय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा  
अनुवान

क्रमांक ..... बनाम महमूद व सन्त

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
14/02/22	<p>को अन्वय अधिकारी अदालत में उपस्थित कर दिखा गया। जलधि प्रार्थना पत्र अस्थाई निपेचाका 212 शर्त पर आदेश पारित नहीं किया गया। बाद एन प्रार्थना पत्र पत्रावलि में का आवलोकन किया जिससे वादी का कथन सही सिद्ध होता है। बाद में निस्वार्ण क्रिये जाने की तारीख पर सहमति से प्रार्थना पत्र को स्विकार नहीं किया गया अतः अन्वय प्रार्थना पत्र अस्थाई निपेचाका स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में साल शुक्रार होकर बाद तमगील संलग्न भूलकाद ही है।</p>	